



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2007/भाद्र 27, 1929

No. 1140]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2007/BHADRA 27, 1929

योत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2007

का.आ. 1570(अ).—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तम्भ (3) की तत्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तम्भ (4) की तत्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में तत्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लम्बाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लम्बाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धनबाद, झारखण्ड।	180 कि.मी. से 398/750 कि.मी.	2	198.75
2.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर, बिहार।	0 कि.मी. से 37.50 कि.मी. 520/0-360/570 कि.मी.	57 28	37.50 159.43
3.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झाँसीपुर, बिहार।	0 कि.मी. से 68.00 कि.मी.	28क	68
4.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अरारिया, बिहार।	37.50 कि.मी. से 165.00 कि.मी. 165.00 कि.मी. से 310.00 कि.मी.	57 57	127.50 145
			57क	10

[फा. सं. एनएच-11014/7/2007-पी एंड एम]

राजीव सिंह, प्रादेशिक अधिकारी (पटना)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2007

S.O. 1570(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) of Section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under Sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Serial Number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway Number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1.	Project Director, Project Implementation Unit, Dhanbad, Jharkhand.	km. 180 to km. 398/750	2	198.75
2.	Project Director, Project Implementation Unit, Muzaffarpur, Bihar.	km. 0 to km. 37.50 km. 520/0-km. 360/570 km. 0 to km. 68.00	57 28 28A	37.50 159.43 68
3.	Project Director, Project Implementation Unit, Jhanjharpur, Bihar.	km. 37.50 to km. 165.00	57	127.50
4.	Project Director, Project Implementation Unit, Araria, Bihar.	km. 0 to km. 10 km. 165.00 to km. 310.00	57A 57	10 145

[F. No. NH-11014/7/2007-P & M]

RAJEEV SINGH, Regional Officer (Patna)